

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 मई, 2011—वैशाख 13 शक 1933

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2011

क्र. एफ 30-08-2002-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अभिवहन (वन उपज) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में, भाग (ख) में, खण्ड (2) में, उपखण्ड (क) में, मद (नौ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2011

क्रमांक एफ 30-8-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 30-8-2002-दस-3, दिनांक 3 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 3rd May 2011

No. F-30-8-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Section 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 4, in Part (B) in clause (2), in sub-clause (a), item (ix) and entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2011

क्र. एफ 30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वन उपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परंतुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 30-08-2002-दस-3, दिनांक 16 मई, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि (छह) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(सात) बबूल—अकेशिया निलोटिका.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2011

क्र. एफ 30-08-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 3 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 3rd May 2011

No. F-30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F-30-8-2002-X-3, dated 16th May, 2005 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, after entry (vi), the following entry shall be inserted, namely:—

“(vii) Babul—Acacia nilotica.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.